खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांकः- B.P. 355/ न0नि0

सेवा में,

श्री रवि कुमार लाला

पिता/पति स्व0 विनोद बिहारी लाला, एवं अन्य,

पत्ता नावाडीह, बाघमारा, धनबाद

धनबाद, दिनांकः- 26/7/16

विषयः-- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-- 647/15-16 संबंधी आपके आवेदन दिनांक-- 15.12.15 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या-- 14971, 14972 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-- 1130/11/15-16, 3003/11/06-07 जमाबंदी संख्या-- 4313, 5333 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 15-16 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुतआवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0-- 647/15-16 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि हीरापुर-07 मौजा अन्तर्गत खाता नं0-- 70 प्लॉट नं0-- 2245 रकवा 5875.43 वर्गफीट अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अजय कुमार केशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय -- समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशें निदेशें एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदन द्वारा उपकर के मद में 1,42,175 कुल रू0 35,600/- + 1,06,800/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदन द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। = 1,42,400 =

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के कपहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदन सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे,तत्पश्चात ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लाम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

(51)

[signature] 26/07/16
कार्यपालक अभियंता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।
U-S 12/7/16 [signature] 12/7/16

ज्ञापांकः-- टी0पी0 / नगर निवेश दिनांक

For M/s CAMRY REALTY
[signature]
Proprietor/Auth. Signatory

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद
(नगर निवेशन विभाग)

पत्रांक धनबाद, दिनांक

सेवा में

श्री आशुतोष चौधरी, पिता-स्व० लाला चौधरी एवं अन्य
हीरापुर, धनबाद ।

विषय : मौजा हीरापुर नं० 07 के खाता नं० 108, 34 प्लौट नं० 982, 983, 988, 985
पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 13-10-03 गृह प्लान केश नं० बीडी- 481 / 03-04

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भूखंड पर गृह निर्माण की दिनांक 22-11-03 को स्वीकृति अधोलिखित शर्तो के साथ प्राधिकार अभिनियम की धारा 30 (।।) के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की गयी है :-

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व संलग्न प्रपत्र VIII को भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है ।
2. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख-रेख में करायी जाय ताकि वे समय - समय पर निर्माण से सम्बन्धित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें ।
3. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षो के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें ,
4. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करना है ।
5. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शा के अनुरूप करायी जाय ।
6. गृह निर्माण का निरीक्षण प्राधिकार नगर निवेशन विभाग के किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रतिकूल पाये गये निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,

ह० /-

अनुलग्नक स्वीकृत नक्शे की एक प्रति ।

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन, माडा, धनबाद ।

22.11.03

ज्ञापांक 27 (ii) 1718 दिनांक
प्रतिलिपि श्री आर०के० पाण्डेय, अनु०प० धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि भवन विनिमय की धारा 14 (7) एवं 15 का अनुपालन संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजें, ताकि जांच पदाधिकारी से जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्मित भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही हैं ।

22/11/03

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन, माडा, धनबाद ।

ज्ञापांक महा० अभि० दिनांक
प्रतिलिपि नगर निवेशन धनबाद को उनके प्रतिवेदन/चेक लिस्ट के प्रसंग में वर्णित स्थान पर बन रहे भवन का निर्माण नक्शे के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन देगें ।

For M/s CAMRY REALTY
Vinod Jinval
Proprietor/Auth. Signatory